आम अदालत

उपखण्ड अधिकारी

जिला गंगानगर

फार्म नं. 140-111

जिला

गंगानगर

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

बनाम

तारीख हुक्म

तहसीलदार भू.अ. / नायब तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक / भू.अ. / प.मा.अ. / 2021 / 7[illegible] दिनांक 28/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प तहसील परम सभागार [illegible] में प्रार्थी की नाम चढ़ोत्तरी [illegible] की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता सं. 54 में

0 B C शामा गंगाविंदपुर

के स्थान पर

P.M.G शामा गंगाविंदपुर

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थना पत्र वर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 25 F.F.G तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता सं. 54 में

0 B C शामा गंगाविंदपुर

के स्थान पर

P.M.G शामा गंगाविंदपुर

की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 16:51:10 IST
Reason: SelfAttested